[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 8th January, 2001]

हरियाणा सरकार

खाद्य एवं पूर्ति विभाग

आदेश

दिनांक 8 जनवरी, 2001

संख्या का० आ० 6/वि० रे० स० (अ० वि० भ० और अ० नि०) आ० 2000/खण्ड 3 तथा 4/2001.–विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, मण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000, के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) तथा खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त उप-खण्डों तथा खण्डों के उपबन्धों के अनुपालन तथा स्वयं की सन्तुष्टि के प्रयोजनार्थ कि उक्त आदेश तथा उसके अधीन किसी आदेश के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिये, प्राधिकृत करते हैं :—

1 सभी जिला मैजिस्ट्रेटस;

2 सभी उप पुलिस अधीक्षक;

3 अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति विभाग; तथा

4 सभी जिला खाद्य तथा पूर्ति नियन्त्रक/जिला खाद्य तथा पूर्ति अधिकारी।

धर्मवीर,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग।